संख्या-5-3939(2)/86-2014-278/2011

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2015

विषय- "वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से जनपद कौशाम्बी में निर्माणाधीन श्रमिक कल्याण केन्द्र भवन का कार्य वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2096/एम-38/2011-12, दिनांक 24-11-2014 के माध्यम से जनपद कौशाम्बी में निर्माणाधीन श्रमिक कल्याण केन्द्र भवन का संशोधित आगणन रू0 1,63,70,000 के प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-6616/86-2011-267/2010, दिनांक 19 सितम्बर, 2011 द्वारा रू0 1,42,63,000.00 स्वीकृत किया गया था। उक्त धनराशि रू0 1,63,70,000.00 में से रू0 1,42,63,000.00 घटाते हुये वित्तीय वर्ष 2014-2015 में आयोजनेत्तर मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष उक्त कर्यों के अवशेष निर्माण कार्यो हेतु शेष धनराशि रू0 21,07,000.00 (रू0 इक्कीस लाख सात हजार मात्र) की श्री राज्यपाल वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करतें है।

उक्त धनराशि निम्न शर्तो के तहत आहरित/व्यय की जायेगी।

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि अवश्यकतानुसार आहरित कर इसी वित्तीय वर्ष में व्यय की जायेगी तथा हाहरित धनराशि बैंक में नही रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म यह सुनिश्चित करेगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित तो नहीं है।

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2; उपरोक्त कार्यों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के लेखाशीर्षक" 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खनिजच अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एक मुश्त व्यवस्था" के अन्तर्गत-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 3939(3)/86-2014, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
(3) वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in